छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठ माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख न्यायमूर्ति

विविध अपील संख्या 1106/1998

अपीलकर्ता न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा, मंडल प्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विधि प्रकोष्ठ, 290/सी, नेपियर टाउन, जबलपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. बुधारूराम बंजारे पिता श्री कजाऊ राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम गंडवारा, पोस्ट खमतराई, जिला रायपुर (मध्य प्रदेश)

2. कैलाशचंद सेठी, सारा रेजन प्राइवेट लिमिटेड, 24/बी, जॉली मेकर चैंबर, तृतीय तल, 225, नरीमन पॉइंट, मुंबई

3. प्रबंधक, मेसर्स ओरिएंट प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ग्राम गोगांव, जिला रायपुर (मध्य प्रदेश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 30 के अंतर्गत अपील

उपस्थित: श्री एन.के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री दीपक कुमार गुप्ता, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के अधिवक्ता। प्रत्यर्थीयों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

मौखिक आदेश

(08/10/2007 को पारित)

सुना गया।

(2) अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने यह अपील आयुक्त कर्मकार प्रतिकर श्रम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.सी. प्रकरण संख्या 3/1989 (एनएफ) में दिनांक 16-06.1998 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

(इसके बाद 'अधीनस्थ न्यायालय' कहा जाएगा) जिसके तहत, कर्मचारी/प्रतिवादी संख्या 1-बुधारूराम बंजारे को उसके नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना के कारण हुई स्थायी विकलांगता के लिए 36,747/- रुपये का मुआवजा देते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने बीमा कंपनी पर दयित्वा अधिग्रहित करते हुए दावेदार को 36,747/- रुपये की प्रतिकर राशि तथा उस पर जुर्माना और ब्याज का भुगतान करने का अधिनिर्णय पारित किया है।

(3) अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.के. अग्रवाल ने स्वीकार किया कि **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राम दयाल एवं अन्य**, **1990 (II) ए.सी.जे 545** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि बीमा पॉलिसी में वह निश्चित अवधि नहीं दिया गया था कि यह कब से लागू हुई थी, इसलिए यह पिछली बीमा की तारीख के मध्यरात्रि से लागू हुई। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1923' कहा जाएगा) के अंतर्गत प्रतिकर भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता/बीमा कंपनी का दायित्व भी विवादग्रस्त नहीं है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) इस अपील में निर्धारण हेतु उठने वाला एकमात्र प्रश्न इस प्रकार है:

> "क्या कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अंतर्गत बीमा कंपनी के विरुद्ध जुर्माना और ब्याज अधिरोपित कर सकता है?"

(5) अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बीमा पॉलिसी की प्रति अभिलेख में प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित शर्तें हैं:

> कि इसके अंतर्गत प्रदान किया गया बीमा का विस्तार निम्नलिखित को शामिल करने के लिए नहीं किया गया है:बीमाधारक पर डब्ल्यू.सी. अधिनियम, 1923 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण लगाया गया ब्याज और/या जुर्माना.....

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हर्षदभाई अमृतभाई मोढिया व अन्य (2006) 5 एससीसी 192 का अवलंब लेते हुए अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी का दायित्व नियोक्ता के साथ हुए अनुबंध से उत्पन्न होता है, जो अधिनियम, 1923 के तहत सांविधिक दायित्व नहीं है और इसलिए, अपीलकर्ता ब्याज या जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो पूरी तरह से नियोक्ता से वसूला जाना चाहिए था। जहाँ तक 36,747/- रुपये के प्रतिकर का संबंध है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह राशि इस अपील के दायर होने के समय अधीनस्थ न्यायालय में जमा कर दी गई है।

(6) प्रत्यर्थीयों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

(7) मैंने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है। अधिनियम, 1923 की धारा 4क इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4क. शोध्य हो जाने पर प्रतिकर का दिया जाना और व्यतिक्रम के लिए शास्ति-

(1) धारा 4 के अधीन प्रतिकर शोध्य होते ही दे दिया जाएगा ।

(2) जिन दशाओं में नियोजक प्रतिकर के लिए दायित्व दावाकृत विस्तार तक प्रतिगृहीत नहीं करता उनमें जिस प्रकार विस्तार तक का दायित्व वह प्रतिगृहीत करता है उस पर आधृत अनन्तिम संदाय करने के लिए वह आबद्ध होगा और ऐसा संदाय, कोई अतिरिक्त दावा करने के सम्बन्ध में [कर्मचारी] के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, आयुक्त के पास निक्षिप्त कर दिया जाएगा या [कर्मचारी] को दे दिया जाएगा ।]

3[(3) जहां कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन शोध्य प्रतिकर को उसके शोध्य हो जाने की तारीख से एक मास के भीतर देने में व्यतिक्रम करता है, वहां आयुक्त-

(क) यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम के अतिरिक्त, उस पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से या किसी अनुसूचित बैंक की उधार देने की अधिकतम दरों से अनधिक ऐसी उच्चतर दर से, जो

केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शोध्य रकम पर विनिर्दिष्ट की जाए, साधारण व्याज का संदाय करेगा;

(ख) यदि उसकी यह राय है कि विलम्ब के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है तो, यह निदेश देगा कि नियोजक, बकाया रकम और उस पर व्याज के अतिरिक्त ऐसी रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगाः

परन्तु यह कि खंड (ख) के अधीन जुर्माने के भुगतान का आदेश नियोक्ता को यह कारण बताने का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा कि ऐसा क्यों न किया जाए।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित बैंक" से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में तत्समय सम्मिलित बैंक से है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3ए) धारा (3) के तहत देय ब्याज और जुर्माना, कामगार या उसके आश्रित को, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उप-धारा (2) के तहत के प्रतिकर के भुगतान का दायित्व और भुगतान करने में चुक करने की स्थिति में उप-धारा (3) के अंतर्गत ब्याज और जुर्माना का भुगतान एक सांविधिक दायित्व है और पूरी तरह से नियोक्ता पर भार डाली है। जहाँ तक बीमा कंपनी की दायित्व का संबंध है, यह नियोक्ता और बीमाकर्ता के बीच हुए बीमा अनुबंध से उत्पन्न होती है। नियोक्ता के लिए बीमा अनुबंध करना सांविधिक रूप से आवश्यक नहीं है। बीमा अधिनियम के प्रावधान द्वारा शामिल किया गया बीमा अनुबंध पक्षों की इच्छा पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता/बीमाकर्ता द्वारा अभिलेख पर रखी गई पॉलिसी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि नियोक्ता औरबीमा कंपनी ने स्पष्ट रूप से अधिनियम, 1923 के अंतर्गत ब्याज और जुर्माना अदा करने के दायित्व का अपवर्जन कर दिया था ।

(8) **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हर्षदभाई अमृतभाई मोढिया व अन्य** (पूर्वोक्त) मामले में, अपीलकर्ता/बीमाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध कर दिया था कि बीमा अनुबंध के अनुसार, वह अधिनिर्णय राशि पर कोई ब्याज या जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस स्थिति पर विवाद करते हुए, प्रत्यर्थीयों ने तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में बीमाधारक उत्तरदायी था। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में ऐसे कोई उपबंध नहीं हैं, जो मोटरयान अधिनियम के समान यह अपेक्षा करें कि बीमा प्रदाता समस्त दायित्व वहन करेगा, जो किसी मोटर दुर्घटना से उत्पन्न पुरस्कार के अंतर्गत किसी तृतीय पक्ष को प्रदत्त क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित हो। न तो इस अधिनियम में और न ही किसी अन्य विधि में ऐसा कोई प्रावधान है, जो बीमा संस्था और बीमाधारी के मध्य इस प्रकार के अनुबन्ध में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करता हो, जिसके द्वारा बीमा संस्था के क्षतिपूर्ति करने के दायित्व को किसी विशेष शीर्ष अथवा किसी निश्चित धनराशि तक सीमित किया जा सके, जब वह दावा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन किसी तृतीय पक्ष को क्षतिपूर्ति दिये जाने से सम्बन्धित हो। अतः बीमा संस्था का दायित्व स्पष्ट रूप से सीमित है और ब्याज अथवा दण्ड के लिए उत्तरदायित्व से अपवर्जन करने वाला प्रावधान प्रभावी रहेगा। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन दावा करने वाले का अधिकार नियोक्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त करना है। नियोक्ता और बीमा प्रदाता के मध्य अधिकार और दायित्व बीमा अनुबन्ध की शर्तों पर आधारित होंगे। यहाँ जिस अनुबन्ध की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> व्याख्या की जा रही है उससे यह स्पष्ट होता है कि बीमा प्रदाता ने श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन ब्याज अथवा दण्ड के लिए किसी भी प्रकार की उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से अपवर्जन कर दिया है और अपनी बाध्यता केवल उसी सीमा तक सीमित कर दी है, जिसमें नियोक्ता को उतनी ही क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी, जितनी राशि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन आदेशित की गयी हो।"

(9) यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से यह तर्क दिया था कि वह ब्याज या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या नियोक्ता के साथ अनुबंध की शर्तों के तहत, अपीलकर्ता/बीमाकर्ता ने अधिनियम, 1923 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने में नियोक्ता/बीमित व्यक्ति की विफलता के कारण उस पर लगाए गए किसी भी ब्याज और/या जुर्माने के लिए भी दायित्व लिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) बीमा पॉलिसी के तहत अधिनियम, 1923 के तहत ब्याज या जुर्माने का भुगतान करने के दायित्व से बीमाकर्ता को विशिष्ट रूप से अपवर्जित किए जाने के मद्देनजर, बीमा कंपनी पर अधिनियम, 1923 की धारा 4ए की उप-धारा (3) के खंड (ए) और (बी) के तहत ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने का दायित्व नहीं डाला जा सकता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता/बीमाकर्ता और नियोक्ता के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग 36,747/- रुपये का प्रतिकर देने के बाद, यह स्पष्ट निर्देश नहीं दिया कि जुर्माना और ब्याज अपीलकर्ता/बीमाकर्ता से वसूल किया जाएगा। सुसंगत कंडिका 22 इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

> 22. अब वादप्रश्न क० 5 का निराकरण किया जाता है। मेरे द्वारा साक्ष्य की विवेचना की गई है एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया है। मेरा निष्कर्ष है कि प्रार्थी को 50

प्रतिशत क्षति हुआ है और शिड्यूल के अनुसार जैसा कि इश्युरेंस कंपनी ने अपने पैरा 6 में कहा है प्रार्थी 36747/- रूपये पाने के अधिकार है। मेरा यह भी निष्कर्ष है कि सभी विपक्षिगण संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग रूप से क्षतिपूर्ति राशी हेतु जिम्मेदार है। प्रार्थी को 10 प्रतिशत पेनाल्टी राशी दिलाया जाता है। आवेदन के दिनांक से क्षतिपूर्ति राशी पर प्रार्थी को 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाता है। अवार्ड खुले न्यायालय में घोषित ।"

(11) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता/बीमाकर्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए जुर्माने या ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका दायित्व पूरी तरह से नियोक्ता का है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smriti Shrivastava (Advocate)